

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21-घ

(नियम 64 देखें)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा
मध्यप्रदेश (राज्य) के 193-झाबुआ (अ.ज.जा.) निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए उप निर्वाचन

193-झाबुआ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधानसभा के लिये उप निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता/करती हूँ कि -

श्री कांतिलाल भूरिया, पता 121, गोपाल कालोनी झाबुआ, जिला झाबुआ, म.प्र.
(जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं)

उस सदन में,


श्री गुमानसिंह डामोर के पदत्याग के कारण श्री गुमानसिंह डामोर का स्थान रिक्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान :-झाबुआ

हस्ताक्षर

तारीख :-24.10.2019

रिटर्निंग आफिसर


रिटर्निंग ऑफिसर
193-...झाबुआ.(अ.ज.जा.)
विधान सभा (उप निर्वाचन)